

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987-88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ - 226 004

फोन : 0522-2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522-2242486

E-mail : coldstorage@satyam.net.in; coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/- ₹0 30 अप्रैल, 2014 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 10, अंक : 11

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

इस समय तक शीतगृहों में आलू का भण्डारण पूर्णतया समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में किसी भी क्षेत्र से लोडिंग की कोई खबर नहीं मिल रही है। कुछ क्षेत्रों में भण्डारण 60-65 प्रतिशत ही रह गया है व कुछ क्षेत्रों में 80-85 प्रतिशत का भण्डारण हुआ है। इसी बीच में कुछ शीतगृह पूरी तरह से फूल हो गए हैं। भण्डारण के निगाह से देखा जाए तो शीतगृहों के लिए यह वर्ष मिला जुला ही माना जायेगा।



इस साल अधिकांश शीतगृहों ने अपने आप को आलू खरीद कर भण्डारित करने से अलग ही रखा है। अधिकतर आलू, आलू उत्पादकों के द्वारा ही भण्डारित किया गया है। इस समय आलू के रेट स्थिर अवस्था में चल रहे हैं क्योंकि घरों में भण्डारित आलू तेजी से मण्डियों में आ रहा है। इधर चुनाव की वजह से ट्रकों की उपलब्धता पर भी परेशानियाँ पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से मण्डियों में उथल-पुथल मची हुई है, कोई स्थिर विचार नहीं बन पा रहा है। वैसे शीतगृहों से आलू की निकासी चालू हो चुकी है, इसमें आगरा अग्रणी है। भण्डारित आलू का भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की भण्डारण रिपोर्ट :

कानपुर : कानपुर से श्री टी.एस. सलूजा, उपाध्यक्ष, कानपुर जोन, ने सूचित किया है कि कानपुर क्षेत्र में आलू भण्डारण अच्छा हुआ है जो कि गत वर्ष से बहुत थोड़ा सा ही कम है। कानपुर शहर में अधिकांश शीतगृह किराना, अण्डे और फल रखने में स्थानातिरन्त हो गए हैं। वैसे कुछ शीतगृह पूरी तरह बन्द भी हो गए हैं।

श्री मोहित नन्दन अग्रवाल, सचिव (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने हमें सूचित किया है कि उन्नाव, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मेरठ, आगरा भण्डारण में अग्रणी क्षेत्र रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू का भण्डारण अधिक हुआ है, परन्तु फिर भी पिछले वर्ष से कम है, और किसी भी क्षेत्र में पिछले वर्ष के अनुपात में अधिक भण्डारण नहीं किया है। बुलन्दशहर और उन्नाव अवश्य पिछले वर्ष की तुलना के बराबर भण्डारण कर पाए हैं।

आगरा में 13 अप्रैल, 2014 की मीटिंग के सम्बन्ध में :

हमें बेहद खुशी है कि श्री राजेश गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने 13 अप्रैल, 2014 को कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वधान में आगरा में उपाध्यक्षों व अन्य शीतगृह पदाधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई और इस में सदस्यों ने काफी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। मुख्य रूप से उपस्थित होने वाले शीतगृहस्वामियों में श्री भुवेश अग्रवाल, आगरा, श्री मोहित नन्दन अग्रवाल, सचिव (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) श्री अजय गुप्ता, आगरा, श्री राजीव कंसल, श्री दिलीप अग्रवाल, आगरा, श्री एस.सी. अग्रवाल, उपाध्यक्ष, बरेली जोन, श्री फकीर चन्द, उपाध्यक्ष इटावा जोन, श्री अवध बिहारी, मथुरा, श्री विनोद अग्रवाल, उपाध्यक्ष, अलीगढ़ जोन थे।

मुख्य विषय जिन पर चर्चा हुई वे थे :-

1. मण्डी समिति चार्जज का लगाया जाना।
2. लखनऊ आफिस को सदस्यों द्वारा हर माह आलू सम्बन्धी रिपोर्ट भेजना।
3. शीतगृहस्वामियों को कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, लखनऊ के सदस्य बनने को प्रोत्साहित करना।

यहाँ हम यह बताते चले कि यह देखा गया है कि जो शीतगृहस्वामी एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं उनको जानकारी व आपसी सहयोग के अभाव में सही भण्डारण प्रभार के बारे में जानकारी नहीं रहती और वह कम भण्डारण प्रभार चार्ज करने लग जाते हैं, ना उन्हें लोडिंग/अनलोडिंग चार्जज का पता रहता है और ना ही उन्हें शीतगृह सम्बन्धी अन्य जरूरी जानकारियाँ होती हैं, जिससे वह बहुत शीघ्र परेशानियों में फस जाते हैं। श्री मोहित नन्दन जी ने Liquid Pump, विभिन्न चीजों के नापने के लिए

जैसे टेम्प्रेचर, आर्द्रता, अमोनिया लीक, कार्बन डाई आक्साइड के संयंत्र के बारे में अत्यन्त महत्वपूर्ण जानकारी दी। अन्त में कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सदस्य बनने के बारे में आवश्यकता पर जोर दिया गया।



आगरा में 13 अप्रैल, 2014 की मीटिंग का एक दृश्य

विद्युत सम्बन्धी – सिक्योरिटी पर ब्याज :

हम अपने सदस्यों कि ओर से एक केस सिक्योरिटी पर ब्याज का लड़ रहे हैं। उसमें अभी तक विद्युत नियामक आयोग की तरफ से हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक फैसला दिया गया है लेकिन अभी पूरा निर्णय नहीं दिया है। अभी तक का केस क्या है वह हम अपने सदस्यों की जानकारी के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस केस की आगामी सुनवाई मई, 2014 में होगी। हम अपने सदस्यों को जानकारी देते रहेंगे।

Order

(Hearing on 3-2-2014)

Shri Rama Shankar Awasthi filed petition no 780/2012 on 5.1.2012, submitting that they have filed the petition to constitute an 'Investigating Authority' to investigate non compliance of section 47 (4) of Electricity Act 2003 and clause 2.40 of Electricity Supply Code 2005 regarding non payment of interest on security. He submitted that it is necessary to constitute an Investigating Authority because most of the distribution licensees are not

(3) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, अप्रैल, 2014

paying interest on security to the consumers. He has further submitted that it is the statutory duty of the Discoms to pay the interest on security and not the obligation of the Discoms towards the consumers, as they have not paid the interest to all the consumers, so Investigating Authority should be constituted to investigate the matter as to investigate why the Discoms have failed to fulfill their statutory duty.

Shri A.S. Rakhara, Advocate representing the respondents submitted that huge data has to be collected, so more time may be given to fill the reply.

Shri Rama Shankar Awasthi submitted that more than one year has passed from the date of filing the petition and the first hearing was held on 10.4.2012 and the respondent Dicom are unable to file the reply.

Shri A.K. Arora appearing on behalf of NPCL submitted in writing that they have paid interest on security for the Financial Year 2012-2013 to all the consumers.

The Commission in its order dated 19.11.2013 directed :

"The Commission directed the respondent distribution companies to publish an advertisement in the newspapers within a fortnight from the date of this order, calling upon the consumers, who have not received interest on security, to formally write to the distribution licensee for payment of interest on security."

The Commission further directed the petitioner, Shri Rama Shankar Awasthi, to provide a list of some such consumers (100 or more) who have not received the interest on security. This list should be submitted within one month from the date of this order.

The next date of hearing shall be intimated separately.

Shri A.K. Arora, Resident Manager, NPCL has already submitted the affidavit stating that the interest on security has been paid to all the consumers as follows :-

Year	Rate of Interest	Total Amount Paid in Crores
2009-2010	6%	2.00
2010-2011	6%	2.72
2011-2012	6%	3.57
2012-2013	9.5%	6.73

And further requested to discharge NPCL from the proceedings as they are fulfilling applicable statutory provisions of the Act 2003 and the Supply Code. He further requested to exempt NPCL from hearing.

Shri A.S. Rakhra appearing on behalf of respondent state owned discoms submitted that all the five discoms have published the advertisement in the news papers as directed by the Commission.

The Commission exempted NPCL on appearance and directed other respondents to submit for advertisement published by them in various newspapers on affidavit.

The petitioners submitted the list of 196 consumers from various categories who have not received the interest on security.

The Commission directed the petitioners to provide the copy to respondents.

The petitioner provided the copy to the respondents and respondents requested two months time to file the reply.

The Commission grants the same.

The next date of hearing may be fixed in the month of May, 2014. Exact date shall be intimated separately.

(I.B. Pandey)
Member

(Meenakshi Singh)
Member

(Desh Deepak Verma)
Chairman

आलू के लोडिंग के सम्बन्ध में कुछ सावधानियाँ :

1. कृपया ध्यान दें कि कोल्ड स्टोरेज में आलू लोड करते वक्त यह अवश्य ध्यान रखें कि शीतगृह कक्ष का तापमान किसी भी समय 55 डीग्री फारेहनहाइट से ऊपर ना जाने पाए, इसलिए लोडिंग को अगर रूक रूक कर करना पड़े तो भी करें। बहुत से शीतगृह एकदम कमरा लोड करने पर लग जाते हैं और शीतगृह कक्ष के तापमान पर बिलकुल ध्यान नहीं देते। ऐसी दशा में शीतगृह कक्ष का तापमान उस सीमा के बाहर चला जाता है जिसे लौटा कर लाना बहुत कठिन हो जाता है। उस में काफी समय लग जाता है। जब तक पहले से लोड किया हुआ आलू खराब होने लगता है।

2. शीतगृह कक्ष में गैलरी की सुचारु रूप से व्यवस्था रखें और देखें कि उन्हें सब से ऊपर वाले तल से सब से नीचे वाले तल तक बराबर हवा पास होती है और हवा पास होने में कोई रूकावट नहीं आती। कुछ शीतगृह लोडिंग के समय गैलरियाँ बन्द कर देते हैं, यदि उन्होंने ऐसा कर दिया हो तो पल्टाई के समय गैलरियाँ साफ कर दें अन्यथा भण्डारित माल के सही निकालने की सम्भावना कम हो जाती है।
3. आलू के बोरो का भण्डारण शीतगृहकक्ष की दिवालों से सटा कर कभी ना करे, कम से कम 9 इंच की दूरी अवश्य रखें जिस से सब से ऊपर वाले तल की ठन्डी हवा सारे कक्ष में तेजी से घूम सके।
4. शीतगृह कक्षों की पल्टाई दो दफा अवश्य कराएँ। इससे न केवल भण्डारित आलू सुरक्षित निकलता है वरन् भण्डारित आलू कहीं पर खराब हो रहा है यह भी पता लगता जाता है। निकासी के वक्त आलू की डिलवरी देने में परेशानी नहीं आती। आलू के वजन की वजह से गड्डे भी नहीं पड़ते क्योंकि पूरे छह महीने से आठ महीने यह गड्डे, सतह पर आलू रखे रहने से, उसमें गड्डों की शिकायत आ जाती है।
5. कमरों में कार्बन डाई आक्साईड को अवश्य निकालते रहे। यह आप के प्लांट को असरदार नहीं रहने देती। कूलिंग क्वायल की ठन्डी करने की क्षमता एकदम कम हो जाती है अतः कार्बन डाई आक्साईड की उपस्थिति शीतगृहों के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे तो पुराने पल्लेदार सूघं कर बता देते हैं, फिर भी कार्बन डाई आक्साईड के संयंत्र बाजार में आ गए हैं। पुराना तरीका कमरे का मेन गेट वा ऊपर की खिडकी खुले रखने का, अभी भी चलन में है परन्तु फिर भी नए संयंत्रों ने इसे और आसान बना दिया है।

पल्टाई के सम्बन्ध में :

हमें बहुत से शीतगृहों से यह शिकायत भी मिल रही है कि यह नहीं पता कर पाते की वास्तव में उनके कमरों में पल्टाई हुई है। पल्टाई का पैसा तो पूरा लग जाता है परन्तु उनका स्टाफ और पल्लेदार मिल कर उन्हें गलत रिपोर्ट दे देते हैं। इसको चेक करने का आसान तरीका यह है कि लोडिंग हो जाने के बाद हर बोरे का मार्क के साथ रैक नम्बर हो जाता है। पल्टाई के बाद हर बोरा कम से कम दो रैक आगे शिफ्ट हुआ मिलना चाहिए। यह आप कभी भी स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को भेज कर चेक करा सकते हैं और इस प्रकार पूरी पल्टाई की चेकिंग की जा सकती है। इस विधि द्वारा आप यह पता लगा सकते हैं कि सही तरीके से पल्टाई की है।

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, coldstorage@fcaoi.org Website : <http://www.fcaoi.org>

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, Ashish Guru, Senior Vice President, Rampada Paul - Vice President (North),
Mukesh Kr. Aggarwal - Vice President (Delhi) and Co-ordinator Government Affairs, B.L. Jaju - Treasurer and Dir. Incharge and Finance Controller,
S.N. Ashraf - Jt. Secy. and Dir. Coordination, Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, Rajesh Goyal - Hony. Secretary,
Bhuvesh Agarwal - National Coordinator, Gubba Nagender Rao - Coordinator (South),
Rakesh Garg - Co-ordinator Government and International Affairs

TOGETHER WE PROGRESS

पश्चिमी बंगाल :

The West Bengal Cold Storage Association ने दिनांक 13 फरवरी, 2014 को अपनी 49th Annual General Meeting आयोजित की जो बड़ी धूम धाम से सम्पन्न हुई। इस मीटिंग के दो चित्र यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।



(7) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, अप्रैल, 2014

आगरा मे वार्षिक मीटिंग के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश व फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की संयुक्त वार्षिक मीटिंग दिनांक 15 जून, 2014 और 16 जून, 2014 को आयोजित की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश को मिलाकर 13 प्रान्तों के अध्यक्ष व सचिवों के आने की पूरी सम्भावना व्यक्त की जा रही है। यह मीटिंग होटल जे.पी. पैलेस, फतेहाबाद रोड, आगरा उत्तर प्रदेश में होगी। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सदस्यों को इसका कोई खर्च देय नहीं है। हमारा अनुरोध है कि हमारे सदस्य अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। मीटिंग का ब्यौरा इस प्रकार है :-

15.6.2014

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| □ 3.00 बजे सायं | मीटिंग प्रारम्भ |
| □ 3.00 बजे से 5.30 बजे सायं तक | मीटिंग |
| □ 5.30 बजे सायं | शाम की चाय जेपी पैलेस होटल में |
| □ 8.00 बजे रात्रि | डिनर जे.पी. पैलेस होटल में |

16.6.2014

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| □ 8.00 बजे प्रातःसे 10.00 तक | नाश्ता जे.पी. पैलेस होटल में |
| □ 10.00 बजे प्रातः से मीटिंग | प्रारम्भ |
| □ 10.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक | मीटिंग |
| □ 1.30 बजे से 2.30 बजे अपराहन तक | लंच |
| □ 2.30 बजे से 5.00 बजे तक | मीटिंग |
| □ 5.30 सायं | चाय जे.पी. पैलेस होटल में |
| □ 8.00 बजे रात्रि | डिनर जे.पी. पैलेस होटल में |

चाय के बाद ही मीटिंग पूरी तरह से समाप्त मानी जायेगी।

नोट : कृपया ध्यान दें कि जो लोग 15 तारीख को लंच लेना चाहेंगे उन्हें 14 जून 2014 तक सूचित करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो कमरों की बुकिंग चाहते हैं उन्हें भी अपनी होटल के नाम के साथ कमरे की माँग 10.6.2014 तक अवश्य करनी होगी और यदि उनके द्वारा माँगी गई होटल पहले फुल हो जाएगी तो उनकी व्यवस्था उनसे पूछकर दूसरे होटल में कर दी जाएगी इसलिए अपनी होटल की माँग के साथ अपना फोन नम्बर अवश्य भेजें। यह कमरे, दो व्यक्ति एक कमरे के हिसाब से होंगे।

सूचना देने के लिए व्यक्ति व उनके मोबाइल नम्बर निम्न हैं :-

1. श्री अनुराग सिघंल – 09837017767
2. श्री सर्जीव मित्तल – 09412255249

15 जून 2014 के लंच की व्यवस्था होटल सिटी स्कवायर (City Square Restaurant Pind Balauchi, Fatehabad Road, Agra) में किया जायेगा।

ठहरने की व्यवस्था :

जो लोग ठहरने की व्यवस्था चाहते हैं उनका इन्तजाम नीचे दी हुई तीन होटलों में से जिसमें वह चाहे करवा दिया जायेगा। होटल का भुगतान सीधे होटल पर ही सदस्य को करना होगा। होटल से जे.पी. पैलैस होटल आने जाने का इन्तजाम आगरा कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन कर देगी लेकिन उसके लिए आपको पहले से सूचित करना होगा। आपके साथ यदि ड्राइवर हो तो उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए भी ऊपर दिए नम्बरों पर सम्पर्क करें।

1. Hotel Jay Pee Palace, Fatehabad Road, Agra Rs.5000/- प्रतिदिन
2. Hotel Retreat, Shilpgram Road, Agra Rs.2200/- प्रतिदिन
3. Hotel City Square (Pind Balauchi Restaurant, Fatehabad Road, Agra) Rs.1750/- प्रतिदिन

एन.एच.बी. द्वारा जारी की गई नई सब्सिडी स्कीम के बारे में :

विस्तार से जानने के लिए आप एन.एच.बी. कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। एन.एच.बी. का पता निम्न प्रकार है :-

National Horticulture Board

85, Sector 18, Institutional Area, Gurgaon-122015 (Haryana)

Phone : 0124-2342991, 2342992

COST NORMS AND PATTERN OF ASSISTANCE UNDER MIDH FOR NATIONAL HORTICULTURE BOARD RELATED ACTIVITIES DURING XII PLAN

S.No.	Item	Cost Norms*	Pattern of Assistance#
A	Development of Commercial Horticulture#		
A.1	Commercial Horticulture Development in open field conditions, including components viz planting material, plantation, irrigation, fertigation, precision farming, GAP etc.	Rs. 75.00 lakh/per project (Rs. 125.00 lakh for date palm, olive and saffron) for projects covering area over 2 ha.	Credit linked back ended subsidy @ 40% of project cost limited to Rs. 30.00 lakh per project in general area and @ 50% of project cost limited to Rs. 37.50 lakh for NE and Hilly and scheduled areas.

S.No.	Item	Cost Norms*	Pattern of Assistance#
A.2	Commercial Horticulture Development in protected cover.	Rs. 112.00 lakh per project covering area above 2500 Sq.mt.	Credit linked back-ended subsidy @ 50% of cost limited to Rs. 56.00 lakh per project
A.3	Integrated Post Harvest Management Projects e.g. Pack House, Ripening Chamber, Refer Van, Retail Outlets. Precooling units, Primary processing etc.	Rs. 145.00 lakh per project. The add-on components of pre-cooling, pack house, grading, packing, cold room can be taken up as individual components	Credit linked back ended subsidy @ 35% of cost limited to Rs. 50.75 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 72.50 lakh per project in NE. Hilly and scheduled Areas. ensuring backward and forward linkage. For standalone projects. NHM norms will be adopted.
B	Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/Expansion/Modernization of Cold Storage and Storages for Horticulture Products		
B.1	Cold Storage Units Type 1 - basic mezzanine structure with large chamber (of >250 MT) type with single temperature zone	NHB to take up projects with Capacity above 5000MT upto 10000 MT as per following rates. <ul style="list-style-type: none"> ● Rs. 7600/MT for capacity between 5001 to 6500 MT ● Rs. 7200/MT for capacity between 6501 to 8000 MT ● Rs. 6800/MT for capacity between 8001 to 10000 MT 	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the cost of project (50% in NE. Hilly Areas and scheduled areas) for capacity above 5000 MT.
B.2	Cold Storage Unit Type 2 - PEB structure for multiple temperature and product use, more than 6 chambers (of <250 MT) and basic material handling equipment.	NHB to take up projects with Capacity above 5000 MT upto 10000 MT as per following rates. <ul style="list-style-type: none"> ● Rs. 9500/MT for capacity between 5001 to 6500 MT 	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the cost of project (50% in NE. Hilly Areas and scheduled areas) for capacity above 5000 MT.

S.No.	Item	Cost Norms*	Pattern of Assistance#
		<ul style="list-style-type: none"> ● Rs. 9000/MT for capacity between 6501 to 8000 MT ● Rs. 8500/MT for capacity between 8001 to 10000 MT 	
B.3	Cold Storage Units Type 2 with add on technology for Controlled Atmosphere	<p>NHB to take up projects with Capacity above 5000 MT upto 10000 MT as per following rates.</p> <p>Additional Rs. 10000/ Mt for add on components of Controlled Atmosphere technology (Appendix II)</p>	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the cost of project (50% in NE. Hilly Areas and scheduled areas) for capacity above 5000 MT.
B.4	Technology induction and modernisation of Cold-Chain	Max Rs. 500.00 lakh (Details in Appendix II)	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the cost of project (50% in NE. Hilly Areas and scheduled areas) for capacity above 5000 MT.
B.5	Refrigerated Transport vehicles	Rs. 30.00 lakh for 15 MT and prorata basis for capacities between 9 to 15 MT	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of cost (50% in NE. Hilly Areas and scheduled areas)
C	Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture		
C.1	Setting up of block/mother plant and root stock nursery (Area above 4 ha)	Rs. 100.00 Lakh/ha including virus indexing tissue culture lab etc.	<p>Project based - 100% and only through govt. agency.</p> <p>The component includes mother block of scion and root stock, infrastructure for production of disease free planting material, creation of poly house, green house, net house, screen house, mist chamber, hot beds sterilization of media. working shed, tissue culture lab, referred lab, virus indexing facility, quality control lab, weather station, water</p>

S.No.	Item	Cost Norms*	Pattern of Assistance#
			supply, irrigation facility, fertigation unit, electric supply with generator, ETP, farm equipment/farm mechanization, tools, portrays, root trainer, container, computer system for data management and analysis etc.
C.2	Acquisition of technologies including import of planting material from other countries for evaluation and mass multiplication in order to increase production & productivity of horticulture crops	Rs. 50.00 lakh/project	Project based - 100% and only through govt. agency.
C.3	Import/procurement of machines and Tools for horticulture for demonstration purpose (Public Sector)	Rs. 50.00 lakh/machine	100% of total cost and only through govt. agency.
C.4	Development & Transfer of Technology	Rs. 25.00 lakh/project	100% of total cost and only through govt. agency.
C.5	Long Distance Transport Solution	Project Based	Rs. 2000.00 lakh
C.6	Product Promotion and Market Development Services-Horti-fairs	Rs. 25.00 lakh	100% of cost by Central Nodal Agency.
C.7	Exposure visit of farmers (Outside State)	Project based as per actual	100% of the cost.
C.8	Visit Abroad for Government Officers	Rs. 6.00 lakh per participant	100% of air/rail travel and course fee.
C.9	Organisation/Participation in Seminar/symposia/workshop for development of horticulture	Rs. 10.00 lakh for International event/Rs. 5.00 lakh for national event/Rs. 3.00 lakh for state level event and Rs. 0.50 lakh/for District level event	50% of cost on actual basis for Pvt. Agencies and 100% for NHB's own events.

S.No.	Item	Cost Norms*	Pattern of Assistance#
C.10	Accreditation and Rating of Fruit Plant Nurseries	Rs. 1.00 lakh/nursery	By Central Nodal Agency
D	Market Information Scheme		
D.1	Market Information Services and Horticulture Statistics	Project based as per of actual cost	By Central Nodal Agency
E	Horticulture Promotion Services/Expert Services & Strengthening Capability of NHB	Project based as per of actual cost	By Central Nodal Agency

*Cost norms are indicative and refer to upper limit of cost for calculation of subsidy.

Note : The release of back ended subsidy need not be credit linked for the institutions like Public Sector Units, Panchayats, Cooperatives, Registered Societies/Trusts and Public Limited Companies, provided they can meet the remaining share of the project cost, out of their own resources. Hilly Areas include those areas covered under Hill Area Development Programme and Western Ghat Development Programme of Planning Commission. Scheduled Areas include those areas notified by Planning Commission and State Governments. NE & Himalayan States refer to States in North East & Himalayan region covered under HMNEH scheme.

For projects of Development of Commercial Horticulture. Subsidy need not be credit linked in North Eastern States and for the institutions like Public Sector Units, Panchayats, Cooperatives, Registered Societies/Trusts and Public Limited Companies, provided they can meet the remaining share of the project cost, out of their own resources. Projects will have to be appraised by an appraising Agency.

सेवा में,	<u>Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16</u>
.....	
.....	

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित